संख्या– /xxvii(10)/2025–ई–77101/2024

प्रेषक,

वी0 षणमुगम
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।**
2. **मण्डलायुक्त, कुमॉऊ/गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।**
3. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।**
4. **समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।**

वित्त अनुभाग–10 **देहरादून : दिनांकः अक्टूबर, 2025**

विषय :– एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को अपनाये जाने की समय सीमा में वृद्धि के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I/287475/xxvii(10)/2025–ई–77101/2024, दिनांक–30 मार्च, 2025 के प्रस्तर–3 के द्वारा राज्यान्तर्गत एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के दिनांक–01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी/लागू होने के दृष्टिगत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 के अध्याय–II के विनियम–3 (योजना को अपनाने हेतु 3 माह एवं 1 माह की समय सीमावधि) एवं अध्याय–III के विनियम–4 में उपबन्धित व्यवस्थानुसार राज्यान्तर्गत उक्त योजना को विकल्प के रूप में चयनीत किये जाने हेतु प्रारूप–A1–A2 (हिन्दी एवं अंग्रेजी) संलग्नकर समस्त आच्छादित कार्मिकों के मध्य प्रचारित किये जाने के आशय से सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध कराये गये थे, जिसमें उक्त योजना को अपनाये जाने हेतु अंतिम तिथि दिनांक–30 जून, 2025 निर्धारित की गई थी।

2– इस संबंध में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के परिपत्र संख्या– पी0एफ0आर0डी0ए0–2025/04/एसयूनी–सीजी–एसजी/01, दिनांक–26, जून, 2025 के द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 के विनियम–3(2)(i) में उपनियम (1) के खंड (i) और खंड (iii) के तहत वर्णित व्यक्ति के संबंध में, एकीकृत पेंशन योजना (UPS) योजना को अपनाये जाने की समयावधि को विस्तारित करते हुए, अंतिम तिथि दिनांक–30, सितम्बर, 2025 एवं वर्तमान में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के शासनादेश दिनांक–30 सितम्बर, 2025 द्वारा उक्त समायावधि को अग्रेत्तर 02 माह विस्तारित करते हुए दिनांक–30 नवम्बर, 2025 निर्धारित किया गया है।

3– उपरोक्त वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I/287475/xxvii(10)/2025–ई–77101/2024, दिनांक–30 मार्च, 2025 के प्रस्तर–3 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 के विनियम–3(2)(i) में उपनियम (1) के खंड (i) और खंड (iii) के तहत वर्णित व्यक्ति के संबंध में, राज्यांतर्गत एकीकृत पेंशन योजना (UPS) योजना को अपनाये जाने की अंतिम समयावधि तिथि दिनांक–30 नवम्बर, 2025 निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4– वित्त विभाग के निर्गत शासनादेश संख्या–I/287475/xxvii(10)/2025–ई–77101/2024 दिनांक–30 मार्च, 2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा उक्त के शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,

Digitally signed by Vadivel Shanmugam
Date: 10-10-2025 17:18:35

(वी0 षणमुगम)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक–तदैव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार, आडिट, वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) नई दिल्ली।
4. उपाध्यक्ष, एन0एस0डी0एल0 ई–गवनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मुम्बई।
5. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
8. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
9. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, कोषागार, पेंशन एव हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. बजट अधिकारी, साईबर कोषागार, देहरादून।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by Dr Ahmed Iqbal
Date: 10-10-2025 17:32:42

(डा0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव।